सम्पत्ति कर स्व–निर्धारण का फार्म

मैं, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक S.O. 85/HA.16/1994/S 87 दिनांक 11.10.2013 और इनके संशोधनों के अंतगर्त सम्पति कर स्व–निर्धारण के अपने दायित्व को पूरा करते हुए मैं वर्ष .... का सम्पति कर का स्व–निर्धारण करते हुए निम्नलिखित विवरण नगर निगम, फरीदाबाद के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं :–

क्रमांक	सामान्य विवरण (सामने दिये गये खानों में हाँ या ना लिखें)					
1	नगर निगम का नाम	नगर निगम, फरीदाबाद				
2	सम्पत्ति का पता	सम्पत्ति / मकान नं.		वार्ड नं.		
		सैक्टर/कॉलोनी का नाम				
		शहर		पिन कोड		
3	प्रोपर्टी आई.टी. (यदि कोई है)					
4	रिहायशी [ ]	यदि हाँ तो टिक करें	मकान [ ] फलैट [ ]			
5	कमर्शियल [ ]	यदि हाँ तो टिक करें	दुकान [ ] कमर्शियल जगह [ ]			
6	संस्थागत [ ]	यदि हाँ तो टिक करें	कमर्शियल [ ] नान–कमर्शियल [ ] शैक्षणिक [ ]			
7	औद्योगिक [ ]	8. स्पेशल कैटेगरी [ ] यदि हाँ तो निम्नलिखित में से किसी एक का चयन करें				
	निजी हस्पताल [ ] यदि हा, बेडों की संख्या [ ] मैरिज पैलेस [ ] स्टैंड एलोन सिनेमा हाल [ ] माल्ज तथा मल्टीप्लैक्सिज में स्थित सिनेमा हाल [ ] बैंक [ ] स्टोरेज गोदाम [ ] हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल द्वारा अधिसूचित अनाज मण्डी/सब्जी मण्डी/टिम्बर मार्केट/सब–मार्केट यार्ड [ ] यदि हां, दुकान [ ], बूथ [ ] क्लब [ ] तीन स्तारा तक होटल [ ] तीन स्तारा से अधिक होटल [ ] अन्य संस्थाएं जैसे कि अकेले छात्रावास, पेईंग गेस्ट हाउस/अकोमोडेशन इत्यादि [ ] निजी कार्यालय भवन [ ] रेस्टोरेंट [ ]					
9	तल **(Floors)**	भूतल [ ]	प्रथम तल [ ]	द्वितीय तल [ ]	तृतीय तल [ ]	तहखाना [ ]
10	मालिक /संस्थान का नाम			व्यक्ति का नाम जिससे संपर्क किया जा सके		
11	संपर्क नं.	**(i)** लैंडलाईन नं. -	**(ii)** मोबाईल नं.	**+91-**	ई–मेल :	
12	सम्पत्ति का विवरण (सामने दिये गये खानों में हाँ या ना लिखें)					
13	प्लॉट की स्थिति	खाली [ ] निर्मित [ ]	14. सम्पति प्रयोग की स्थिति	स्वयं [ ] किराये पर [ ]		
15	प्लॉट /भूमि का साईज (वर्ग गज में)					
16	कारपेट एरिया (फलैट, कमर्शियल और स्पेशल कैटेगरी के लिए) (वर्ग फुट)					
	किराये पर दिया गया क्षेत्र (वर्ग फुट/वर्ग गज)					
17	छूट की पात्रता (सामने दिये गये खानों में हाँ या ना लिखें)					
18	धार्मिक सम्पतियां [ ] अनाथालय [ ] भिक्षुक गृह [ ] नगरपालिका/नगर निगम की सम्पति [ ] शमशान भूमि/कब्रिस्तान [ ] धर्मशाला [ ] केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालय [ ] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम [ ]					
19	सेवारत सेना/अर्द्ध–सेना बल का कर्मचारी है [ ] पूर्व सैनिक/अर्द्ध–सैनिक या उसकी पत्नी/उसका पति है [ ] मृतक सैनिक/अर्द्ध–सैनिक का परिवार [ ] पूर्व केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल का कर्मचारी [ ]					
20	क्या यह सम्पति स्वतंत्रता सेनानी या उसके पति/पत्नी और युद्ध सैनिक की पत्नी के नाम है? [ ]					
21	क्या प्लॉट का प्रयोग बागवानी/कृषि के लिए किया जा रहा है ? [ ]					
	स्वयं–निर्धारित कर (सामने दिये गये खानों में विवरण/राशि लिखें) **(Rs.)**					

22	सम्पत्ति कर	रिहायशी	कमर्शियल	औद्योगिक	संस्थागत	कुल	छूट	बकाया
	अग्निशमन कर (रिहायशी सम्पत्तियों के इलावा अन्य सम्पत्तियों के सम्पति कर का 10%)		कुल (22+23)		कुल वर्ष		कुल कर राशि	
23	बकाया राशि की अवधि का विवरण	से	तक		बकाया राशि			
24	पहले अदा किये गये कर का विवरण	रसीद क्रमांक व तिथि (कृपया प्रमाण संलग्न करें)		अदा/समायोजित की जाने वाली बकाया राशि				
25	अदा की जाने वाली कुल राशि							

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि उक्त फार्म में दिये गये सभी विवरण मेरे विश्वास व जानकारी के अनुसार सही है और इनमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है। हरियाणा सरकार की सम्पति कर से संबधित अधिसूचना दिनांक 11.10.2013 व इसमें किये गये संशोधन के प्रतिकूल यदि मैंने कोई गलत जानकारी दी है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूंगा।

स्थानः ....

दिनांकः ....

सम्पत्ति मालिक के हस्ताक्षर

हिदायतें कृपया पिछले पृष्ठ पर देखें

हरियाणा सरकार की अधिसूचना कमांक S.O. 85/H.A. 16/1994/S. 87/2013 दिनांक 11-10-2013 के अनुसार अधिसूचित सम्पति कर नीति निम्न प्रकार से है :–

(i) **रिहायशी मकानों (भूतल) के लिए सम्पति कर की दरे** : 300 वर्ग गज तक आकार के प्लाट के मकानों पर 1 रूपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष, 301 वर्ग गज से 500 वर्ग गज तक आकार के प्लाटों के मकानों पर 4 रूपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष, 501 वर्ग गज से 1000 वर्ग गज तक आकार के प्लाटों के मकानों पर 6 रूपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष, 1001 वर्ग गज से 2 एकड़ (9680 वर्ग गज) तक आकार के प्लाटों के मकानों पर 7 रूपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष, 2 एकड़ (9680 वर्ग गज) से अधिक के प्लाटों के मकानों पर 10 रूपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष **अन्य मंजिलों पर सम्पति कर (एक मालिक),** मंजिलवार छूट प्रथम मंजिल पर 40 प्रतिशत, दूसरी मंजिल और उससे ऊपर पर 50 प्रतिशत, और तहखाने के लिए भूतल की सम्पति कर की निर्धारित दरों का 50%. इसके अतिरिक्त तहखाने जो केवल पार्किंग हेतू प्रयोग में लाए जाते हैं, को सम्पति कर की अदायगी से छूट मिलेगी।

(ii) **रिहायशी फलैटों के लिए** : 2000 वर्ग गज फुट तक कारपेट क्षेत्र के फलैटों पर 0.50 रूपये प्रति वर्ग फुट, 2001 वर्ग फुट से 5000 वर्ग फुट तक कारपेट क्षेत्र फलैटों पर 1.20 रूपये प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष, 5000 वर्ग फुट से अधिक कारपेट क्षेत्र के फलैटों पर 1.50 रूपये प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष.

*सांझा सुविधाओं/भवनों के लिए कर विभिन्न उपयोगों के अधीन क्षेत्र के अनुसार लिया जायेगा।

(iii) **भूतल की वाणिज्यिक सम्पतियों के लिए सम्पति कर की दरें** : 50 वर्ग गज तक प्लाट के आकार की दुकानों पर 24 रूपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष, 51 से 100 वर्ग गज तक प्लाट के आकार की दुकानों पर 36 रूपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष, 101 से 500 वर्ग गज तक प्लाट के आकार की दुकानों पर 48 रूपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष और 501 से 1000 वर्ग गज तक प्लाट के आकार की दुकानों पर 60 रूपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष

(iv) **वाणिज्यिक सम्पतियों की अन्य मंजिलों पर सम्पति कर (एक मालिक),** मंजिलवार छूट प्रथम मंजिल पर 40 प्रतिशत, दूसरी मंजिल और उससे ऊपर पर 50 प्रतिशत, और तहखाने के लिए भूतल की सम्पति कर की निर्धारित दरों का 50%. इसके अतिरिक्त तहखाने जो केवल पार्किंग हेतू प्रयोग में लाए जाते हैं, को सम्पति कर की अदायगी से छूट मिलेगी।

*1000 वर्ग गज से अधिक आकार के प्लाट की वाणिज्यिक सम्पतियों को वाणिज्यिक स्थान के रूप में निर्धारित किया जायेगा। **यदि वाणिज्यिक दुकान या उसके भाग को किराये/पटटे पर दिया गया है, तो सम्पति कर किराये पर दिये गये/पटटे पर दिये गये क्षेत्र के लिए उपरोक्त दरों का 1.25 गुणा होगा।

वाणिज्यिक स्थान (शापिंग मालज/मल्टीप्लैक्सिज या वाणिज्यिक कार्यालय स्थान इत्यादि) : 1000 वर्ग फुट तक कारपेट क्षेत्र के वाणिज्यिक स्थानों पर 12 रूपये प्रति वर्ग फुट, 1000 वर्ग फुट से अधिक कारपेट चेत्र के वाणिज्यिक स्थानों पर 15 रूपये प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष। ***यदि वाणिज्यिक स्थान या उसके भाग को किराये/पटटे पर दिया गया है, तो सम्पति कर किराये पर दिये गये/पटटे पर दिये गये क्षेत्र के लिए उपरोक्त दरों का 1.25 गुणा होगा।

(v) **औद्योगिक सम्पतियां** : a) 2500 वर्ग गज तक के आकार के प्लाटों पर 5 रूपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष; b) 2501 वर्ग गज से 2 एकड़ तक के आकार के प्लाटों पर 6 रूपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष; c) 2 से 50 एकड़ तक के प्लाट पर प्रथम 2 एकड़ पर कर उपरोक्त कम (b) में दी गई दरों के अनुसार जमा दो एकड़ से अधिक प्लाट क्षेत्र के लिए निर्धारित दरें; d) 50 एकड़ से अधिक के आकार के प्लाट पर प्रथम 50 एकड़ पर कर उपरोक्त कम (c) में दी गई दरों के अनुसार जमा 50 एकड़ से अधिक प्लाट क्षेत्र के लिए निर्धारित दरें

(vi) **संस्थागत – वाणिज्यिक** : 2500 वर्ग गज तक के आकार के प्लाट पर 12 रूपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष, 2501 वर्ग गज से 5000 वर्ग गज तक के आकार के प्लाट पर 18 रूपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष, 5000 वर्ग गज से अधिक के आकार के प्लाट पर 24 रूपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष

(vii) **संस्थागत – गैर–वाणिज्यिक** : 2500 वर्ग गज तक के आकार के प्लाट पर 10 रूपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष, 2501 वर्ग गज से 5000 वर्ग गज तक के आकार के प्लाट पर 12 रूपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष, 5000 वर्ग गज से अधिक के आकार के प्लाट पर 15 रूपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष

(viii) **संस्थागत – शैक्षणिक संस्थायें** : 1 एकड़ तक के आकार के प्लाट पर 10000 रूपये प्रति वर्ष, 1 एकड़ से अधिक 2.5 एकड़ तक के आकार के प्लाट पर 1.50 लाख रूपये प्रति वर्ष, 2.5 एकड़ से अधिक 5 एकड़ तक के आकार के प्लाट पर 2.50 लाख रूपये प्रति वर्ष, 5 एकड़ से अधिक आकार के प्लाट पर 5 लाख रूपये प्रति वर्ष

(ix) **खाली भूमि :**

a. **आवासीय तथा वाणिज्यिक** सम्पतियों के लिए 100 वर्ग गज तक के आकार के खाली प्लाटों और 500 वर्ग गज तक के आकार के **औद्योगिक/संस्थागत** खाली प्लाटों को सम्पति कर से छूट होगी,

b. 101 वर्ग गज से 500 वर्ग गज तक के आकार के प्लाट के खाली (रिहायशी) प्लाटों पर 50 पैसे प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष, 501 वर्ग गज तथा इससे उपर के प्लाटा के खाली (रिहायशी) प्लाटों पर 1 रूपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष

c. 101 वर्ग गज तथा इससे उपर के प्लाटा के खाली (वाणिज्यिक) प्लाटों पर 5 रूपये प्रति व गज प्रति वर्ष

d. 501 वर्ग गज तथा इससे उपर के प्लाटा के खाली (औद्योगिक/संस्थागत) प्लाटों पर 2 रूपये प्रति व गज प्रति वर्ष

(x) **स्पेशल कैटेगरी :**

a. **निजी हस्पताल** : 50 बिस्तरों तक कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थानों की दर का 20 प्रतिशत

b. **निजी हस्पताल** : 51 से 100 बिस्तरों तक कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थानों की दर का 40 प्रतिशत

c. **निजी हस्पताल** : 100 बिस्तरों से अधिक कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थानों की दर का 60 प्रतिशत

d. **मैरिज पैलेस** : कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थानों की दर का 50 प्रतिशत

e. **सिनेमा हाल स्टैंड एलोन** : कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थानों की दर का 50 प्रतिशत

f. **माल्ज तथा मल्टीप्लैक्सिज में स्थित सिनेमा हाल** : कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक संस्थानों की दर का शत प्रतिशत

g. **बैंक** : कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थान की दर का शत प्रतिशत

h. **कल्ब** : कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थान की दर का 50 प्रतिशत

i. **तीन स्तारा तक होटल** : कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थान की दर का 75 प्रतिशत

j. **तीन स्तारा से अधिक होटल** : कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थान की दर का 125 प्रतिशत

k. **अन्य संस्थाएं जैसे कि अकेले छात्रावास, पेईंग गेस्ट हाउस/अकोमोडेशन इत्यादि** : कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थानों की दर का 50 प्रतिशत

l. **निजी कार्यालय भवन** : कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थानों की दर का 50 प्रतिशत

m. **1000 वर्ग फुट तक के रेस्टोरेंटस** : कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थानों की दर का 75 प्रतिशत

n. **1000 वर्ग फुट से अधिक के रेस्टोरेंटस** : कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थानों की दर का 75 प्रतिशत

o. **स्टोरेज गोदाम** : 2500 वर्ग गज तक के आकार के प्लाट पर 6 रूपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष

p. **स्टोरेज गोदाम** : 2501 वर्ग गज से 1 एकड़ तक के आकार के प्लाट पर 9 रूपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष

q. **स्टोरेज गोदाम** : एक एकड़ से अधिक आकार के प्लाट पर 9.60 रूपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष

r. **हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल द्वारा अधिसूचित अनाज मण्डी/सब्जी मण्डी/टिम्बर मार्केट/सब–मार्केट यार्ड : दुकानें** 2400 रूपये प्रति दुकान प्रति वर्ष

s. **हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल द्वारा अधिसूचित अनाज मण्डी/सब्जी मण्डी/टिम्बर मार्केट/सब–मार्केट यार्ड : बूथ** 1200 रूपये प्रति दुकान प्रति वर्ष

(xi) **सम्पति कर : मिश्रित उपयोग सम्पतियां** : किसी सम्पति के परिसरों के मिश्रित उपयोग की दशा में कर के दायित्व की गणना विभिन्न उपयोगों के अधीन क्षेत्र के अनुसार की जायेगी।

(xii) **पैट्रोल पम्प** : वाणिज्यिक सम्पति के कर की दर का 50 प्रतिशत

(xiii) **आई.टी. पार्क, साईबर सिटी पार्क** : वाणिज्यिक स्थान के कर की दर का 50 प्रतिशत

नोट :

1. गलत घोषणा की दशा में, कर चोरी की राशि के बराबर जुर्माना देना होगा
2. कराधान तथा दरों की नई प्रणाली वित वर्ष 2010–11 से आगे इस शर्त सहित लागू होगी कि अधिसूचना से पूर्व अवधि के लिए सम्पति मालिक को नई अथवा पुरानी नीति जो भी उन द्वारा चुनी जाती है, के अनुसार भुगतान करने का विकल्प होगा।

छूट : ***सेवारत सैनिकों/अर्ध–सैनिक बल के कर्मचारियों तथा भूतपूर्व सैनिकों/अर्ध–सैनिकों अथा उसके/उसकी पति/पत्नी, मृतक सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों/भूतपूर्व केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बल के कर्मचारियों के परिवारों** के स्वामित्व वाले आवासीय मकानों को शत प्रतिशत छूट दी जाएगी यदि वे हरियाणा राज्य में कोई अन्य रिहायशी मकान नहीं रखते हो तथा इसमें स्वयं निवास कर रहे हों तथा मकान का कोई भाग किराये पर नहीं दे रखा हो। यह और कि मकान को किराये पर देने की शर्त उन पर लागू नहीं होगी जो प्रति मास एक हजार दो सौ पचहत्तर या कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

***स्वतंत्रता सेनानी अथा उसके पति/पत्नी तथा युद्ध विधवाओं** के सवामित्व में स्वयं रहने वाले आवासीय मकानों पर शत प्रतिशत छूट दी जाएगी यदि वे हरियाणा राज्य में कोई अन्य रिहाशी मकान नहीं रखते हों तथा इसमें स्वयं निवास कर रहे हों तथा मकान का कोई भाग किराये पर नहीं दे रखा हो।

*धार्मिक सम्पत्तियों, अनाथालयों, भिक्षुक गृहों, नगरपालिका भवनों, श्मशान षाटों/कब्रिस्तानों, धर्मशालाओं, केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के शिक्षण संस्थानों/सरकारी हस्पतालों पर शत प्रतिशत छूट दी जायेगी।

***बागवानी/कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त एक एकड़ तथा अधिक के खाली प्लाट को शत प्रतिशत छूट दी जायेगी।**

*राज्य सरकार के भवनों (बोर्ड/निगम/उपकम/स्वायत निकायों के भवनों से भिन्न) को 50 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

* कर निर्धारण वर्ष की 31 जुलाई तक उस निर्धारण वर्ष के लिए अपने कुल कर का भुगतान करने वाले करदाताओं को दस प्रतिशत की छूट देय होगी।

ब्याज : **देरी से अदायगी की दशा में, 1.5 प्रतिशत प्रति मास की दर से ब्याज लिया जायेगा।**

यह कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं है। इसमें किसी भी गलती होने पर ऊपर उल्लेखित अधिसूचना कमांक ***# S.O. 85/H.A. 16/1994/S. 87/2013*** दिनांक ***11-10-2013*** और इसमें समय–समय पर किये गये संशोधन मान्य होंगे।